

न्यायालय-ए0के0गुप्ता, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद जिला भिण्ड (म0प्र0)आपराधिक प्रक0क्र0-863/2008संस्थित दिनांक-17.10.08

राज्य द्वारा आरक्षी केंद्र मालनपुर

जिला-भिण्ड (म0प्र0)

विरुद्धमुन्नासिंह पुत्र तहसीलदारसिंह भदौरिया उम्र 31 साल
निवासी ग्राम सोने का पुरा थाना सहसो
जिला इटावा उ0प्र0

.....अभियोगी

.....अभियुक्त

-:: निर्णय ::-

{आज दिनांक 31.03.18 को घोषित}

अभियुक्त पर भारतीय दंड संहिता 1860 (जिसे अत्र पश्चात "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 457, 380 के अधीन आरोप है कि उसने दिनांक 7-8.09.08 की दरम्यानी रात्रि किलोरो पैराफिनो फैक्ट्री हॉट लाईन के सामने मालनपुर पर चोरी करने के आशय से रात्रि में प्रवेश कर रात्रोप्रच्छन्न ग्रहअतिचार कारित किया तथा 50-50 किलो के दो बांट एवं 20-20 किलो के दो बांट कुल कीमती तीन हजार रुपये की चोरी की।

2. अभियोजन कथा संक्षेप में इस प्रकार से है कि फरियादी कुंजीलाल यादव थाना मालनपुर अंतर्गत क्लोरो पैराफिनो फैक्ट्री में आपरेटर के पद पर कार्यरत था। दिनांक 07.09.2008 को उनकी फैक्ट्री से लोहे के तोलने वाले 50-50 किलो के दो बांट तथा 20-20 किलो के दो बांट कोई अज्ञात चोर चोरी करके ले गया। जब उसने अपने मैनेजर को बताया तो उन्होंने कहा कि पहले पता कर लो किसने चोरी की तब रिपोर्ट करना। फरियादी ने पता किया तो अभियुक्त मुन्ना भदौरिया द्वारा उक्त संपत्ति चोरी कर लिए जाने के संबंध में पता चला, जिसकी लिखित रिपोर्ट दिनांक 07.10.08 को थाना मालनपुर में की गयी जिस पर से अप0क्र0 116/08 पंजीबद्ध किया गया। दौरान अनुसंधान नक्शामौका बनाया गया, अभियुक्त को गिरफ्तार कर अभियुक्त से पूछताछ कर मेमो लिया गया, जब्तीकर जब्ती पत्रक बनाया गया, साक्षियों के कथन लेखबद्ध किए गए, शिनाख्त कार्यवाही की गयी, बाद अनुसंधान अभियोगपत्र पेश किया गया।

3. अभियुक्त को पद क्र0 1 में वर्णित आशय के आरोप पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर उनके द्वारा अपराध करने से इंकार किया गया। द0प्र0स0 की धारा 313 के अधीन अभियुक्त ने अपने कथन में निर्दोष होना तथा झूठा फंसाया जाना बताया।

4. प्रकरण के निराकरण हेतु निम्न विचारणीय प्रश्न हैं -

1. क्या अभियुक्त द्वारा दिनांक 7-8.09.08 की दरम्यानी रात्रि किलोरो पैराफिनो फैक्ट्री हॉट लाईन के सामने मालनपुर पर चोरी करने के आशय से रात्रि में प्रवेश कर रात्रोप्रच्छन्न ग्रहअतिचार कारित किया ?
2. क्या अभियुक्त ने उक्त दिनांक, समय तथा स्थान पर 50-50 किलो के दो बांट एवं 20-20 किलो के दो बांट कुल कीमती तीन हजार रुपये की चोरी की ?

-:: सकारण निष्कर्ष ::-

5. अभियोजन की ओर से प्रकरण में श्यामविलास अ0सा0 1, मेहताबसिंह अ0सा0 2, सुरेश शर्मा अ0सा0 3, कुंजीलाल अ0सा0 4 को परीक्षित कराया गया है, जबकि अभियुक्त की ओर से बचाव में किसी साक्षी को परीक्षित कराया गया है। तथ्यों एवं साक्ष्य में उत्पन्न परिस्थितियों में पुनरावृत्ति के निवारण हेतु उपरोक्त सभी विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

6. प्रकरण में फरियादी कुंजीलाल अ0सा0 4 यह कथन करते हैं कि करीब दस साल पहले वे क्लोरो पैराफिनो फैक्ट्री में काम करते थे। उनकी फैक्ट्री में लोहे के तोलने वाले 50-50 किलो एवं 20-20 किलो के दो दो बांट कोई चुराकर ले गया था। उन्होंने उक्त बात की सूचना टेलीफोन पर अपने मैनेजर को दी तो मैनेजर के कहने पर रिपोर्ट कर दी थी। यह भी कथन करते हैं कि उन्होंने चोरी का पता किया लेकिन पता नहीं लगा। थाना मालनपुर में प्र0पी0 7 का आवेदनपत्र दिए जाने जिस पर ए से ए भाग पर हस्ताक्षर होना प्रमाणित करते हैं। आवेदन के आधार पर रिपोर्ट प्र0पी0 8 लिखे जाने और उस पर भी ए से ए भाग पर हस्ताक्षर किया जाना बताते हैं। नक्शामौका प्र0पी0 6 पर बी से बी भाग पर हस्ताक्षर होना प्रमाणित करते हैं। साक्षी अपने मुख्य परीक्षण में किसी व्यक्ति द्वारा चोरी करने अथवा चोरी के संदेह होने के संबंध में कोई भी कथन नहीं करते हैं। साथ ही कोई शिनाख्ती मेमो के संबंध में भी इंकार करता है। इस प्रकार से प्रकरण में साक्षी द्वारा अभियुक्त के द्वारा चोरी करने की बात मुख्य परीक्षण में नहीं बताई गयी। साक्षी को अभियोजन पक्ष द्वारा पक्षविरोधी घोषितकर सूचक प्रश्न में लेखीय आवेदन प्र0पी0 7 के संबंध में ध्यान दिलाया गया तो साक्षी ने लेखीय आवेदन में अभियुक्त द्वारा चोरी की बात लिखाए जाने से इंकार किया है। लेखीय आवेदन प्र0पी0 7 में बी से बी भाग पर अभियुक्त मुन्ना भदौरिया के द्वारा बांट चोरी कर ले जाने की बात पता चलने के तथ्य से इंकार किया है। इसी प्रकार से रिपोर्ट प्र0पी0 8 में बी से बी भाग पर तथा पुलिस कथन प्र0पी0 9 के विनिर्दिष्ट ए से ए भाग पर अभियुक्त द्वारा अभिकथित बांट चोरी करने के संबंध में तथ्य लिखाने से इंकार किया है।

7. प्रकरण में अभियुक्त की अपराध में संलिप्तता अर्थात् चोरी कारित करने के संबंध में कोई भी चक्षुदर्शी साक्षी अभियोजन पक्ष प्रस्तुत करने में असफल रहा है। जहां तक अभियुक्त के प्रथमतः

अपराध से संबंधित होने के तथ्य का प्रश्न है तो उक्त अपराध में सर्वप्रथम अभियुक्त का नाम प्र०पी० 7 के लिखित आवेदन के आधार पर दर्शाया गया है। लिखित आवेदन के संबंध में यह ध्यान देने योग्य है कि घटना दिनांक 07.09.2008 को बताई गयी है, जबकि आवेदन प्र०पी० 7 कथित घटना से एक महीने बाद दिनांक 07.10.08 को प्रस्तुत किया जाना दर्शित है जिसके आधार पर प्र०पी० 8 की प्राथमिकी लेख की गयी है। उक्त प्राथमिकी में विलंब का कारण पता करने का उल्लेखित है, किन्तु फरियादी कुंजीलाल अ०सा० 4 को उसके द्वारा कैसे अभियुक्त की अपराध में संलिप्तता का पता किया गया, इसका कोई भी आधार नहीं है। साथ ही स्वयं फरियादी ने अभिकथित आवेदन प्र०पी० 7 तथा पुलिस कथन प्र०पी० 9 में अभियुक्त के द्वारा चोरी करने की बात लिखाए जाने से इंकार किया है। उक्त विरोधाभास महत्वपूर्ण हैं तथा अभियोजन के मामले के प्रति संदेह उत्पन्न करता है। ऐसी दशा में अभियोजन का मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य की सुसंगत श्रंखला पर निर्भर हो जाता है।

8. प्रकरण में फरियादी कुंजीलाल अ०सा० 4 अपने अभिसाक्ष्य में 50-50 किलो के दो बांट एवं 20-20 किलो के भी दो बांट चोरी होने के संबंध में कथन करते हैं। यद्यपि अभियुक्त की ओर से कथित बांटों की चोरी के संबंध में कोई चुनौती नहीं दी गयी है, किन्तु स्वयं कुंजीलाल अ०सा० 4 ने अभिसाक्ष्य में कथित बांटों की पहचान सुनिश्चित करने के संबंध में आधार उक्त बांटों पर सफेद पैंट से केपी लिखे होने के तथ्य से इंकार किया है। फरियादी कुंजीलाल अ०सा० 4 ने सूचक प्रश्नों में इस तथ्य के संबंध में ध्यान न होना बताया है कि कथित बांटों पर सफेद पैंट से केपी लिखा था। साक्षी ने शिनाख्त कार्यवाही से भी इंकार किया है। मेहरवानसिंह अ०सा० 2 शिनाख्त कार्यवाही निष्पदनकर्ता हैं जो न तो फरियादी को पहचानते हैं और न ही कथित बांट की शिनाख्त की कार्यवाही के संबंध में निश्चित कथन करने में समर्थ हैं। साक्षी प्र०पी० 5 के शिनाख्त मेमो पर अपने हस्ताक्षर अवश्य बताते हैं किन्तु सूचक प्रश्नों में इस तथ्य के ठीक से याद न होने का कथन करते हैं कि उन्होंने फरियादी कुंजीलाल से चार नये बांट की पहचान कराई थी। ऐसी दशा में उपरोक्त संदिग्ध साक्ष्य पर आंख बंद करके विश्वास नहीं किया जा सकता है।

9. अनुसंधानकर्ता सुरेश शर्मा अ०सा० 3 अपने अभिसाक्ष्य में कथन करते हैं कि उन्हें अपराध की विवेचना प्राप्त हुई थी। उन्होंने उक्त अनुसंधान के दौरान दिनांक 08.10.08 को अभियुक्त को गिरा कर गिरा पंचनामा प्र०पी० 3 बनाया था जिस पर अपने बी से बी भाग पर हस्ताक्षर बताते हैं। अभियुक्त से मेमोरेण्डम धारा 27 के लिए जाने पर कथित चोरी हुए 50-50 किलो एवं 20-20 किलो के दो दो बांट फ्लेक्स फैक्ट्री के सामने बंद पड़ी फैक्ट्री के पीछे वाली दीवाल के किनारे घास में छिपाकर रख देने के संबंध में तथ्य पता चलने का कथन किया है। मेमोरेण्डम प्र०पी० 1 पर अपने बी से बी भाग पर हस्ताक्षर होना प्रमाणित करते हैं। तत्पश्चात् मेमोरेण्डम के आधार पर उक्त 50-50 किलो एवं 20-20 किलो के तोलने के बांट निकालकर प्रस्तुत करने पर साक्षियों के समक्ष जब्त किए

जाने का कथन करते हैं। प्रकरण में उक्त गिर0, जब्ती व मेमोरेण्डम की कार्यवाही का साक्षी श्याम विलास अ0सा0 1 अपने अभिसाक्ष्य में प्रपी0 1 के मेमोरेण्डम, प्र0पी0 2 के जब्ती पत्रक, प्र0पी0 4 के गिर0 पत्रक से इंकार करते हैं। अभियुक्त को पहचानने से इंकार करते हैं। यद्यपि उक्त दस्तावेजों पर ए से ए भागों पर हस्ताक्षर मात्र स्वीकार करते हैं। इस प्रकार से प्रकरण में कथित जब्ती की कार्यवाही का स्वतंत्र साक्षी के माध्यम से समर्थन नहीं किया गया है। अन्य साक्षी वासुदेव को अभियोजन पक्ष प्रस्तुत करने में असफल रहा है।

10. प्रकरण में सर्वप्रथम तो घटना की एक माह पश्चात् अभियुक्त के नाम से दिया गया आवेदन संदिग्ध है। साथ ही यदि प्र0पी0 7 के आवेदन एवं फरियादी कुंजीलाल अ0सा0 4 के कथित चोरी के संबंध में अपुष्ट कथन को मान भी लिया जाए तो इस संबंध में साक्ष्य अभिलेख पर सुसंगत श्रंखला को पूर्ण नहीं है कि जो बांट चोरी होने बताए गए थे, वे अभियुक्त से कथित जब्ती पत्रक प्र0पी0 2 के अनुसार जब्तशुदा बांट थे। साथ ही जहां अनुसंधानकर्ता के कथन का समर्थन स्वतंत्र साक्षी द्वारा नहीं किया गया है, वहां प्रकरण में अभियोजन को जब्ती की कार्यवाही को भलीभांति सुसंगत रोजनामचा सान्हा दस्तावेजों से प्रमाणित करानी चाहिए थी, जैसा कि अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत तर्क किया गया है। ऐसी दशा में अभिकथित जब्ती की कार्यवाही के आधार पर यह प्रमाणित नहीं है कि जो बांट चोरी हुए थे वे ही अभियुक्त से जब्त हुए। कोई रोजनामचा सान्हा दस्तावेज से अनुसंधानकर्ता की कार्यवाही समर्थित नहीं है। प्र0पी0 2 के जब्ती पत्रक में कोई नमूना सील अंकित नहीं की गयी है, जबकि अनुसंधानकर्ता कथित प्र0पी0 1 के मेमोरेण्डम के आधार पर अभियुक्त से प्राप्त जानकारी की पुष्टि कर रहे थे और थाने से ही प्र0पी0 1 के दस्तावेज के अनुसार रवाना हुए थे। ऐसे में अभियोजन के मामले में महत्वपूर्ण लोप विद्यमान हैं।

11. दांडिक विधि के अनुसार अभियोजन को अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करना होता है अर्थात् यदि एक सामान्य प्रज्ञावान व्यक्ति के मन में अभियुक्त के दोषी होने के संबंध में संदेह उत्पन्न हो जाए तो वह अपराध अभियुक्त के विरुद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं कहलाता है। न्याय दृष्टांत जोश उर्फ पप्पाचान विरुद्ध पुलिस उपनिरीक्षक कोयीलैण्डी व अन्य ए0आई0आर0 2016 एस0सी0 4581: 2016-4 सी0सी0एस0सी0 1807 में हाल ही में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पैरा 53 में यह मताभिव्यक्ति की है कि "विधि की पुरातन प्रस्थापना है कि सन्देह चाहे जितना भी गम्भीर हो, यह सबूत का स्थान नहीं ले सकता और यह कि अभियोजन दाण्डिक आरोप पर सफल होने के लिए "सत्य हो सकेगा" की परिधि में अपने मामले को दाखिल करने का साहस नहीं कर सकता, किन्तु उसे आवश्यक रूप से "सत्य होना चाहिए" के संवर्ग में उसे उद्धृत करना चाहिए। दाण्डिक अभियोजन में, न्यायालय का यह सुनिश्चित करना कर्तव्य है कि मात्र अटकलबाजी या संदेह विधिक सबूत का स्थान ग्रहण नहीं करते और ऐसी स्थिति में, जहां उपलब्ध

साक्ष्य की पृष्ठभूमि में युक्तियुक्त संदेह स्वीकार किया जाता है, न्याय की विफलता को निवारित करने के लिए संदेह का लाभ अभियुक्त को प्रदान किया जाना चाहिए। ऐसा संदेह आवश्यक रूप से युक्तियुक्त होना चाहिए न कि काल्पनिक, कल्पनापूर्ण, अमूर्त या अस्तित्वहीन, किन्तु जैसा कि निष्पक्ष, प्रज्ञापूर्ण और विश्लेषणात्मक मस्तिष्क द्वारा स्वीकार्य हो, कारण और सामान्य ज्ञान की कसौटी पर निर्णीत किया गया हो। दाण्डिक न्यायशास्त्र में प्राथमिक शर्त भी है कि यदि उपलब्ध साक्ष्य पर दो मत संभव है, जिनमें से एक अभियुक्त के अपराध को और दूसरा उसकी निर्दोषिता को निर्दिष्ट कर रहा है, तो अभियुक्त के पक्ष में मत को अंगीकार किया जाना चाहिए।”

12. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अभियोजन यह तथ्य प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त ने दिनांक 7-8.09.08 की दरम्यानी रात्रि किलोरो पैराफिनो फैक्ट्री हॉट लाइन के सामने मालनपुर पर चोरी करने के आशय से रात्रि में प्रवेश कर रात्रोप्रच्छन्न ग्रहअतिचार कारित किया तथा 50-50 किलो के दो बांट एवं 20-20 किलो के दो बांट कुल कीमती तीन हजार रुपये की चोरी की। अतः अभियुक्त को संहिता की धारा 457, 380 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

13. अभियुक्त की जमानत भारहीन की जाती है, उनके निवेदन पर मुचलकर 6 माह तक प्रभावी रहेगे।

14. प्रकरण में जब्तशुदा संपत्ति पूर्व से सुपुर्दगी पर है। अतः सुपुर्दगीनामा अपील अवधि बाद बंधनमुक्त हो। अपील होने पर अपील न्यायालय के आदेश का पालन हो।

15. यदि अभियुक्त इस प्रकरण में निरोध में रहा हो, तो इस संबंध में धारा 428 दप्रस का प्रमाणपत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में टंकित कराकर,
हस्ताक्षरित, मुद्रांकित एवं दिनांकित
कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

ए0के0 गुप्ता
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश

ए0के0 गुप्ता
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश